रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2159] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2017/श्रावण 12, 1939
No. 2159] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2017/SRAVANA 12, 1939

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

का.आ. 2459(अ).—अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 451(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2004 द्वारा अन्तरराज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए, तारीख 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन किया गया था;

और, उक्त अधिकरण ने तारीख 30 दिसम्बर, 2010 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत कर दिया था ;

और, केन्द्रीय सरकार और पक्षकार राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने तारीख 29 मार्च, 2011 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण को अपने अपने निर्देश प्रस्तुत कर दिए थे;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण से तारीख 29 मार्च, 2011 से एक वर्ष या उससे पूर्व केन्द्रीय सरकार को अतिरिक्त रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा थी;

और उक्त अधिकरण के अनुरोध पर, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को समय-समय पर, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 653(अ), तारीख 29 मार्च, 2012, का.आ. 2339(अ), तारीख 28 सितंबर, 2012, का.आ. 916(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2013, का.आ. 2939(अ), तारीख 27 सितंबर, 2013, का.आ. 3515(अ), तारीख 27 नवंबर, 2013 द्वारा 31 जनवरी, 2014 तक बढाया गया था जिसे जल संसाधन मंत्रालय के 5 फरवरी, 2014 के आदेश का.आ. 1290(अ), तारीख 15 मई, 2014 द्वारा 31 जुलाई, 2014 तक और बढ़ा दिया गया था;

और उक्त अधिकरण ने 29 नवम्बर, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त रिपोर्ट अग्रेषित कर दी है;

और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन केंद्रीय सरकार अधिकरण द्वारा अपनी रिपोर्ट अग्रेषित किये जाने के पश्चात् और जैसे ही केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस मामले में अधिकरण को कोई अतिरिक्त निर्देश करना आवश्यक नहीं होगा, अधिकरण का विघटन कर देगी;

और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 89 में यह उपवधित है कि कृष्णा जल विवाद अधिकरण की अवधि उक्त धारा के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट निर्देश निबंधनो के अनुसार बढाया जायेगा ;

और, केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट, प्रस्तुत करने की अवधि को, संख्यांक का.आ. 1290(अ), तारीख 15 मई, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की तारीख 15 मई, 2014 की अधिसूचना द्वारा उक्त धारा के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट निर्देश के निबंधनो को पूरा करने के लिए तारीख 1 अगस्त, 2014 से दो वर्ष और अवधि के लिए बढ़ा दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 1 अगस्त, 2017 से एक वर्ष की और बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 1 अगस्त, 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. 17/4/2016-बी.एम.]

संजय कुंडू, संयुक्त सचिव (पीपी)

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2017

S.O. 2459(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereafter in this notification referred to as the said Tribunal) was constituted on the 2nd April, 2004 *vide* notification number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereafter in this notification referred to as the said Act), for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;

And, whereas, the said Tribunal has submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on 30th December, 2010;

And, whereas, the Central Government and the Party States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have preferred their respective references, to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act on 29th March, 2011;

And, whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on or before one year from 29th March, 2011;

And, whereas, on the request of the said Tribunal, the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act was extended from time to time vide notifications number S.O 653(E), dated the 29th March, 2012, S.O. 2339(E), dated the 28th September, 2012, S.O. 916(E), dated the 2nd April, 2013 and S.O. 2939(E), dated the 27th September, 2013 and S.O. 3515(E), dated the 27th November, 2013 up to the 31st January, 2014, which was further extended up to 31st July, 2014, vide Ministry of Water Resources order dated 5th February, 2014, S.O. 1290(E), dated the 15th May, 2014;

And, whereas, the said Tribunal has forwarded to the Central Government its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 29th November, 2013;

And, whereas, under section 12 of the said Act, the Central Government shall dissolve the Tribunal after it has forwarded its report and as soon as the Central Government is satisfied that no further reference to the Tribunal in the matter would be necessary;

And, whereas, section 89 of the Andhra Pradesh Re-organization Act, 2014 (6 of 2014) provides that the term of the Krishna Water Disputes Tribunal shall be extended with the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of the said section;

And, whereas, in exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further

period of two years with effect from the 1st August, 2014 so as to address the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of the said section vide the notification of the Government of India, Ministry of Water Resources, dated the 15th May, 2014, published in the Gazette of India, vide number S.O. 1290(E), dated the 15th May, 2014;

And, whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 1st day of August, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the Krishna Water Disputes Tribunal for a period of one year with effect from the 1st day of August, 2017.

[F. No. 17/4/2016-BM]

SANJAY KUNDU, Jt. Secy. (PP)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.05 15:24:18 +05'30'